



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072025-265041
CG-DL-E-28072025-265041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3392]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 2025/श्रावण 6, 1947

No. 3392]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 2025/SHRAVANA 6, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2025

का.आ. 3470(अ).— केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम विरचित करती है, अर्थात्: -

- इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2025 है।
 - यह स्कीम 21 दिसम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।
- साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन योजना, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 2 में, -
 - उप पैरा (छ) में, खंड (i) में दोनों स्थान पर जहां भी “अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक” शब्द आते हैं, के पश्चात “और कार्यपालक निदेशक” शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।
 - उप पैरा (ट) के परन्तुक में जहां कहीं भी “अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक” शब्द आते हैं, के पश्चात “या कार्यपालक निदेशक” शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त स्कीम में, परिशिष्ट-I में, कर्मचारियों की श्रेणी से संबंधित क्रम संख्या (i) के सामने दोनों स्थान पर जहां भी “अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक” शब्द आते हैं, के पश्चात “और कार्यपालक निदेशक” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एस-14011/02/2025-बीमा-I]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

टिप्पण: साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.585(अ) तारीख 28 जून, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात, अधिसूचना संख्यांक का.आ.475(अ) तारीख 3 जुलाई, 1996, का.आ.342(अ) तारीख 22 अप्रैल, 1997, का.आ.461(अ) तारीख 18 जून, 1999, का.आ.1221(अ) तारीख 6 दिसंबर, 1999, का.आ.590 (अ) तारीख 22 जून, 2000, का.आ.775(अ) तारीख 13 अगस्त, 2001, का.आ.1086(अ) तारीख 2 नवंबर, 2001, का.आ.778(अ) तारीख 5 जुलाई, 2004, का.आ.636 (अ) तारीख 4 मई 2005, का.आ.1794(अ) तारीख 19 अक्तूबर, 2006, का.आ.2473(अ) तारीख 8 अक्तूबर, 2010, का.आ.236(अ) तारीख 23 जनवरी, 2016, का.आ.1627(अ) तारीख 23 अप्रैल, 2019 और का.आ.3346(अ) तारीख 26 जुलाई, 2023 द्वारा संशोधित की गई।

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 में अंतर्विष्ट उन उपबंधों के अनुसार में पेंशन संबंधी फायदे की गणना के लिए निगम और कंपनी के कार्यपालक निदेशकों को सम्मिलित किए जाने का अनुमोदन स्वीकृत कर दिया है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर उनके अधीन जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सेवकों पर लागू होते हैं और इस प्रकार, संशोधन किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2025

S.O. 3470(E).— In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following scheme further to amend the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, namely: -

1. (1) This scheme may be called the General Insurance (Employees') Pension (Amendment) Scheme, 2025.
(2) This scheme shall be deemed to have come into force on the 21st day of December, 2023.
2. In the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995 (hereinafter referred to as the said scheme), in paragraph 2, -
 - (i) in sub-paragraph (g), in clause (i) after the words “Chairman-cum-Managing Director” at both the places where they occur, the words “and Executive Director” shall be inserted;
 - (ii) in sub-paragraph (k), in the proviso, after the words “Chairman-cum-Managing Director” wherever they occur, the words “or Executive Director” shall be inserted.
3. In the said scheme, in Appendix-I, against serial number (i) relating to the category of employees, after the words “Chairman-cum-Managing Director” at both the places where they occur, the words “and Executive Director” shall be inserted.

[F. No. S –14011/02/2025 Ins.I]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Note: - The General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O.585 (E), dated the 28th June, 1995 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 475(E), dated the 3rd July, 1996, S.O. 342(E), dated the 22nd April, 1997, S.O. 461(E), dated the 18th June, 1999, S.O. 1221(E), dated the 6th December, 1999, S.O. 590(E), dated the 22nd June, 2000, S.O. 775(E), dated the 13th August, 2001, S.O. 1086(E), dated the 2nd November, 2001, S.O. 778(E), dated the 5th July, 2004, S.O. 636(E), dated the 4th May, 2005, S.O. 1794(E), dated the 19th October, 2006, S.O. 2473(E), dated the 8th October, 2010, S.O. 236(E), dated the 23rd January, 2016, S.O. 1627(E), dated the 23rd April, 2019 and S.O. 3346(E), dated the 26th July 2023.

The Central Government has accorded approval to include the Executive Directors of the Corporation and the Company for calculation of pensionary benefits in accordance with the provisions contained in the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981, as applicable to the Central Government servants in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government thereunder from time to time and thereby, the amendments do not adversely affect the interests of any person.